कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
-:: इन्द्रावती भवन ::-
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

Ph. No. 0771-2263708, **Fax No.**–2262558, **www.tribal.gov.in**, **Email-eklavya.ctd@gmail.com**

क्रमांक / EMRS / 313 / 2022–23 / 2182 नवा रायपुर दिनांक 3 / 6 / 2022

प्रति,

कलेक्टर / अध्यक्ष
जिला–स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं
आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला............................ (छ.ग.)

विषय :– **विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालयों (PVTGRS) हेतु कर्मचारियों की व्यवस्था के संबधं मे।**

––000––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत राज्य में 10 आवासीय विद्यालयों के स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	विद्यालय का स्तर	स्वीकृत सीट
1	बलरामपुर	बलरामपुर	(पहाडी कोरबा) PVTGRS भेलवाडीह	प्राथमिक (कक्षा 1–5)	100
				माध्यमिक (कक्षा 6–10)	100
2	धमतरी	नगरी	(कमार) PVTGRS मुकुन्दपुर	प्राथमिक (कक्षा 1–5)	100
				माध्यमिक (कक्षा 6–10)	100
3	कबीरधाम	पंडरिया	(बैगा) PVTGRS पोलमी	प्राथमिक (कक्षा 1–5)	100
				माध्यमिक (कक्षा 6–10)	100
4		बोड़ला	(बैगा) PVTGRS चौरा	प्राथमिक (कक्षा 1–5)	100
				माध्यमिक (कक्षा 6–10)	100
5	गरियाबंद	गरियाबंद	(कमार) PVTGRS केशोडोर	प्राथमिक (कक्षा 1–5)	100
				माध्यमिक (कक्षा 6–10)	100
6	कोरिया	भरतपुर	(बैगा) PVTGRS नौढ़िया	प्राथमिक (कक्षा 1–5)	100
				माध्यमिक (कक्षा 6–10)	100
7	सरगुजा	अंबिकापुर	(पहाडी कोरबा) PVTGRS घंघरी	प्राथमिक (कक्षा 1–5)	100
				माध्यमिक (कक्षा 6–10)	100
8	बिलासपुर	गौरेला	(बैगा) PVTGRS धनौली	प्राथमिक (कक्षा 1–5)	100
				माध्यमिक (कक्षा 6–10)	100
9	जशपुर	बगीचा	(पहाडी कोरबा) PVTGRS रूपसेरा	प्राथमिक (कक्षा 1–5)	100
				माध्यमिक (कक्षा 6–10)	100
10	नारायणपुर	ओरछा	(अबूझमाड़िया) PVTGRS ओरछा	प्राथमिक (कक्षा 1–5)	100
				माध्यमिक (कक्षा 6–10)	100
			योग –		**2000**

क्रमशः 02

2. इस कार्यालय के पत्र क्र./टीएडीपी/पीटीजी/फा–660 पार्ट–2/के.क्षे.यो./2019–20/7320 दिनांक 25.10.2019 द्वारा आवर्ती मद अंतर्गत प्रति विद्यार्थी 85000/– वार्षिक स्वीकृत किया गया है। जिसका विभिन्न मदों में विभाजन निम्नानुसार है:–

क्र.	विवरण	दर प्रतिशत में	कुल वार्षिक व्यय (प्रति विद्यार्थी/प्रति शिक्षण सत्र)
1	विद्यार्थियों पर व्यय (भोजन/शिष्यवृत्ति प्रति विद्यार्थी 1500 रू प्रतिमाह तथा एक शिक्षण सत्र में 10 माह के लिये कुल 15,000 रू सहित)	30	25500
2	कर्मचारी वेतन भत्तों पर व्यय	40	34000
3	कार्यालय व्यवस्था एवं अन्य आकस्मिक व्यवस्थाओं पर व्यय	6	5100
4	अतिरिक्त कोचिंग पर व्यय (रेमेडियल)	5	4250
5	रनिंग पेयजल/वाटर हार्वेस्टिंग/किचन गार्डन/खाना बनाने का संयंत्र/शैक्षणिक भ्रमण/सामग्री पूर्ति इत्यादि।	12	10200
6	शेष राशि (साइंस ओलंपियाड NTSE प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु)	7	5950
	योग	100	85000

3. **शिक्षकों की व्यवस्था:–** विद्यालय के संचालन हेतु नियमित शिक्षकों की व्यवस्था न होने की स्थिति में इस कार्यालय के पत्र क्र./EMRS/301/2022–23/1564, दिनांक–20.05.2022 द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु अतिथि शिक्षकों का निर्धारित मानदेय अनुसार विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालयों (PVTGRS) हेतु शिक्षक रखे जाये। इन विद्यालयों में अस्थाई रूप से शिक्षकों/चतुर्थ श्रेणी मजदूरी दर पर कर्मचारियों की अधिकतम संख्या निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

क्र.	विद्यालय स्तर	कक्षा	**शिक्षकीय कार्य हेतु** — **प्रति कालखण्ड के मानदेय पर अतिथि शिक्षकों की संख्या**							**आवासीय व्यवस्था हेतु**
			गणित/विज्ञान	विज्ञान	सा. विज्ञान	हिंदी	अंग्रेजी	खेलकूद प्रशिक्षक/योग अनुदेशक	**योग**	मजदूरी दर पर चतुर्थ श्रेणी की संख्या
1	प्राथमिक स्तर	1 ली से 5वीं तक (प्रति कक्षा 20 सीट के मान से कुल 100 सीटर)	1	0	1	1	0	0	**3**	2
2	प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक	1 ली से 8वीं तक (प्रति कक्षा 20 सीट के मान से कुल 160 सीटर)	1	1	1	1	1	1	**6**	2
3	माध्यमिक से हाई स्कूल तक	6वीं से 10वीं तक (प्रति कक्षा 20 सीट के मान से कुल 100 सीटर)	1	1	1	1	1	1	**6**	2
4	प्राथमिक से हाई स्कूल तक	1ली से 10वीं तक (प्रति कक्षा 20 सीट के मान से कुल 200 सीटर)	2	2	2	2	2	1	**11**	3

क्रमशः 03

नोटः–

A- प्राथमिक स्तर हेतु– PRT (सहायक शिक्षक/संगीत शिक्षक के समतुल्य रखा जाये)
B- माध्यमिक स्तर हेतु– TGT (स्नातक शिक्षक रखा जाये)
C- हाई स्कूल स्तर हेतु– 02 शिक्षकों में से 01–TGT (स्नातक शिक्षक रखा जाये) तथा 01–PGT (स्नातकोत्तर शिक्षक रखा जाये)

उपरोक्तानुसार **अतिथि शिक्षकों को कार्य पर रखने हेतु शर्ते निम्नानुसार होंगीः–**

I- कालखण्ड आधारित अतिथि शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नवोदय/केन्द्रीय विद्यालय के अनुरूप होना चाहिए।

II- अंग्रेजी माध्यम के शालाओं हेतु कालखण्ड आधारित अतिथि शिक्षक की संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के संस्थान से होना अनिवार्य है।

III- कालखण्ड आधारित अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2022–23 मात्र के लिए होगी। सामाचार पत्र में Walk-in-Interview का विज्ञापन निकालकर मेरिट आधार पर जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन किया जावेगा।

IV- अतिथि शिक्षकों को विषयवार कालखण्ड आवंटित किया जावे एवं उनके शिक्षक डायरी प्रतिदिन के अध्यापन प्रगति के आधार पर माह के अंत में मूल्यांकन कर पढ़ाये गए कालखण्ड के दर अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

V- सर्व प्रथम यह प्रयास किया जाये कि इन विद्यालयों के लिये शिक्षा विभाग से शिक्षक लिया जाये तथा विभागीय छात्रावास/आश्रमों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की व्यवस्था की जायें और यदि शिक्षक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं मिलने की स्थिति में जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन से अतिथि शिक्षक एवं मजदूरी दर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखने की कार्यवाही की जावेगी।

4. **स्वास्थ्य परीक्षणः–** विभाग में छात्रावास/आश्रमों के विद्यार्थियों के लिये लागू "स्वस्थ तन–स्वस्थ मन" योजना अंतर्गत निर्धारित दर पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य जांच हेतु चिकित्सक रखें जा सकेंगे।

5. **पुस्तकालय की स्थापनाः–** विद्यालय में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु सुव्यवस्थित पुस्तकालय की स्थापना की जाये, जिसमें पर्याप्त अलमारी, कुर्सी एवं टेबल तथा विभिन्न विषयों के संदर्भित पुस्तकों की व्यवस्था हो।

6. **प्रयोगशाला की स्थापनाः–** विद्यार्थियों का विज्ञान, गणित विषयों की मौलिक समझ विकसित करने हेतु उनके स्तर के शैक्षणिक सामग्रियों की व्यवस्था कर प्रयोगशाला स्थापित की जाये एवं विद्यार्थियों को प्रयोग के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जायें।

7. **विद्यार्थियों के भोजन की गुणवत्ताः–** विद्यार्थियों के लिये सुबह–शाम पौष्टिक नाश्ता एवं दोपहर तथा रात में संतुलित एवं पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाये। इस हेतु भोजन का मेनू चार्ट निर्धारित कर दिवाल पर प्रदर्शित करें।

8. **विद्यार्थियों के लिये गणवेश एवं खेलकूद सामग्रीः–** विद्यार्थियों को 02 जोड़ी गणवेश, ब्लेजर, ट्रेकसूट, अंडर गारमेंट एवं खेलकूद सामग्री नियमानुसार एवं वित्तीय प्रावधान सीमा अंतर्गत प्रदान की जावें।

9. **रसोई, भोजन–कक्ष एवं भण्डार कक्ष की व्यवस्थाः–** आवासीय विद्यालय में रसोई कक्ष साफ–सुथरा एवं व्यवस्थित हो। भोजन हेतु भोजन कक्ष में डायनिंग टेबल एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। भण्डार कक्ष में खाद्य सामग्रियां ताजी रखी जाये एवं भण्डारण सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाये।

10. **उपचारात्मक कक्षायें (Remedial Classes):–** विद्यार्थियों के विषयगत कमजोरियों को दूर करने हेतु शाला समय के पश्चात् भी उपचारात्मक कक्षायें संचालित की जायें, जिससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक प्रगति उत्कृष्ट हो सकें।

11. **मासिक समीक्षाः–** प्रत्येक विद्यालय की मासिक समीक्षा कलेक्टर की अध्यक्षता में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के साथ अनिवार्य रूप से करायी जायें एवं विद्यार्थीवार प्रगति तथा उपरोक्त व्यवस्था पर आधारित फोटोग्राफ्स प्रत्येक माह के 05 तारीख तक भेजना सुनिश्चित की जायें।

(शम्मी आबिदी)
आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ

पृ.कमांक/EMRS/313/2022–23/2183 नवा रायपुर दिनांक 3/6/2022

प्रतिलिपि :–

1. **सचिव,** भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. **विशेष सहायक,** मान.मंत्री/अध्यक्ष, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, स्कूल शिक्षा विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. **परियोजना प्रशासक,** एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना .... की ओर सूचनार्थ।
5. **सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव,** जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला–.........................(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. **प्राचार्य/संस्था प्रमुख,** विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालयों (PVTGRS) .... जिला–...................... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ